

2.43

फैक्ट साइट

(2)

क्र.सं.	विवरण	परिणाम
	परियोजना का नाम	ए.स.सी.सी.ओ. के अनुसार मार्ग के निर्माण में वनभूमि प्रस्तावित क्षेत्र में वनभूमि को हस्तान्तरण परमाणु।
2	प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल है 0 में सिविल एवं सोगम भूमि आरक्षित वनभूमि वन पंचायत भूमि कुल वनभूमि का योग नाप भूमि कुल भूमि का योग	1.645 है० 1.050 है० 1.715 है० 4.410 है० 3.990 है० 8.400 है०
3	प्रस्तावित विभाग का नाम	लोक निर्माण विभाग कपकोट
4	वन प्रभाग का नाम	बागेश्वर वन प्रभाग कपकोट/बागेश्वर
5	प्रस्ताव बाईडिंग किया गया है	हाँ / नहीं
6	प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है	हाँ / नहीं
7	क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है।	हाँ / नहीं
8	क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है।	हाँ / नहीं
9	प्रस्ताव क्षेत्र की हरियाली का धनत्व दर्शाया गया है।	हाँ / नहीं
10	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण पत्र संलग्न है	हाँ / नहीं
11	बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ / नहीं
12	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है।	हाँ / नहीं
13	संरक्षण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है।	हाँ / नहीं
14	क्या वृक्षों की संख्या कु अनुसार हरियाली का धनत्व सही है।	हाँ / नहीं
15	क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है।	हाँ / नहीं
16	क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है।	हाँ / नहीं
17	प्रस्तावित परियोजना के आस पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है।	हाँ / नहीं
18	क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।	हाँ / नहीं
19	प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ / नहीं
20	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में भरा गया है	हाँ / नहीं
21	प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)	प्रस्तावित कार्य नया है
22	क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग अलग रंग से भरा गया है।	हाँ / नहीं
23	यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है।	हाँ / नहीं
24	क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन हुआ है।	हाँ / नहीं
25	यदि उलंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय	हाँ / नहीं
26	परियोजना निर्माण हेतु तलाबी गयी अन्य सम्भावनाएँ/वैकल्पिक संरक्षण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं।	आवश्यकता नहीं है।

छाया प्रति प्रमाणित

27	प्रमाणित प्रस्ताव का निष्कर्ष करने के लिए प्रस्ताव के पूर्ण नोट संलग्न किया जाए।	प्रमाणित / प्रमाणित नहीं दिया गया है।
28	लगत लाभ विवरण यात्रात्मक रूप से प्राप्त है। (5 है० से अधिक क प्रकरणों पर लागू होगा)	लागू नहीं होता है।
29	मानचित्र व कार्टा में एक रूपता है।	
30	मलवे के निष्कारण की योजना मथ मानचित्र सहित संलग्न है। अथवा मलवे के निष्कारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ / नहीं
31	राज्य सरकार द्वारा लागू जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ / नहीं
32	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतिया मूल में संलग्न है। यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी है। तो क्या वे सत्यापित है।	हाँ / नहीं
33	यदि वनभूमि लीज पर दी जाती है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है।	लागू नहीं होता है।
34	वित्तीय / प्रशासकीय स्वीकृति संलग्न है।	हाँ / नहीं
35	क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है।	हाँ / नहीं
36	क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र / सूचनार्थें संलग्न कर दी गयी है।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०,
कपकोट

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट